



महाविद्यालय में पुस्तकों के कय हेतु निविदा आमंत्रण सत्र 2022-23

महाविद्यालय के पुस्तकालय में विभिन्न विषयों एवं श्रेणियों की पुस्तकों विभिन्न मद्दों से कय करने हेतु पुस्तक विक्रेताओं से निविदाएं सीलबंद लिफाफे में प्राचार्य, रानी दुर्गावती शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मण्डला (म.प्र.) के नाम से निम्न विन्दुओं को दर्शाते हुए विभाग की वेबसाइट के प्रकाशन के 15 दिवस तक महाविद्यालय में स्वयं/ डाक द्वारा कार्यालयीन समय में आमंत्रित की जाती है।

क्र.	पुस्तकों के प्रकार	छूट की दर प्रतिशत में
1	भारतीय प्रकाशन की पाठ्य पुस्तकें	
2	संदर्भ पुस्तकें	
3	जनरल पुस्तकें—उपन्यास कहानी नाटक (हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा में)	
4	शासकीय प्रकाशन एवं शासकीय नियमों की पुस्तकें	
5	स्वयं का प्रकाशन(स्वयं के प्रकाशन की सूची संलग्न करना अनिवार्य है)	
6	म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी द्वारा प्रकाशित हिन्दी अंग्रेजी संस्कृत की पुस्तकें	
7	म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी द्वारा प्रकाशित पाठ्य पुस्तकें	
8	विदेशी प्रकाशन की पुस्तकें	
9	प्रतियोगी परीक्षाओं की पुस्तकें	
10	ई- पुस्तकें एवं पत्रिकाएँ (ई- रिसोर्सस)	

शर्तें—

- एक. ओ. आर. रानी दुर्गावती शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मण्डला (म.प्र.) होगा।
- पुस्तकें नवीन संस्करण एवं मुद्रित मूल्य की मान्य होगी।
- आपके भावपत्र 30 जून 2023 तक ही वैध रहेंगे।
- सीलबंद लिफाफे में पुस्तकों के कय हेतु निविदा आमंत्रण सत्र 2022-23 लिखना आवश्यक है।
- उपरोक्त दिये गये प्रपत्र में ही भावपत्र मान्य होंगे।
- भावपत्र मान्य होने पर समय सीमा के अंदर निर्धारित दरें एवं सूची के अनुसार आदेश पूर्ति करनी होगी।
- निविदा पर वाणिज्यिक कर विभाग का टिन नं. एवं पत्राचार का पता अवश्य लिखें।
- भुगतान ई प्रकृति से किया जाने हेतु देयक में बैंक का खाता नं. एवं डिटेल् अंकित किया जाना अनिवार्य है।
- पुस्तकों के कय संबंधी अधिकार प्राचार्य के पास सुरक्षित होंगे विवाद की स्थिति में प्राचार्य का निर्णय ही मान्य होगा।

डॉ. एस. आर. बघेल

मंडपाल
LIBRARIAN
R.D. Govt. P.G. College
Mandla

पृ. क्रमांक / / 2022

आयुक्त महोदय, उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. शासन कम्प्यूटर सेल की ओर इस निवेदन के साथ प्रेषित है कि विज्ञापित की विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित कराने की कृपा करें।

डॉ. एस. आर. बघेल

मंडपाल

(डॉ. राजेश चौरासिया)

स. दु. भास स्नातकोत्तर महाविद्यालय
मण्डला (म.प्र.)

मंडला दिनांक 23/08/2022

(डॉ. राजेश चौरासिया)

प्राचार्य

रानी दुर्गावती शासकीय स्नातकोत्तर
महाविद्यालय मण्डला, (म.प्र.)



क्रमांक/579/प्रथा./22

मण्डला, दिनांक 23/08/2022

महाविद्यालय में स्टेशनरी क्य हेतु निविदा आमंत्रण सत्र 2022-23

म. प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग भोपाल के शासनादेश की प्रत्यासा में अनुसूचित जाति/ जन्जाति के विद्यार्थियों को निःशुल्क स्टेशनरी योजनान्तर्गत रु. 500/- प्रति विद्यार्थी की दर से स्टेशनरी सेट क्य हेतु विक्रेताओं से निविदाएँ सीलबंद लिफाफे में प्राचार्य, रानी दुर्गावती शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मण्डला (म.प्र.)के नाम से निम्न विन्दुओं को दर्शाते हुए विभाग की वेबसाइट के प्रकाशन के 15 दिवस तक महाविद्यालय में स्वयं/ डाक द्वारा कार्यालयीन समय में आमंत्रित की जाती है। सीलबंद लिफाफे के ऊपर स्टेशनरी क्य हेतु निविदा 2021-22 अनिवार्य रूप से लिखा होना चाहिए।

क्रं	सामग्री का नाम	दर	जी. एस. टी राशि	कुल राशि
1	लॉग अभ्यास कॉपी (192 पृष्ठ कवर सहित) ए-4 साइज (58 gsm paper white paper)			
2	लॉग अभ्यास कॉपी (260 पृष्ठ कवर सहित) ए-4 साइज (58 gsm paper white paper)			
3	बल पेन (सेलो फाइन ग्रीप)			
4	पेन जैटर (रिनाल्ड)			
5	स्टील स्कैल 12 इंच			

शर्त-

- एफ. ओ. आर. रानी दुर्गावती शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मण्डला (म.प्र.) होगा।
- उपरोक्त दिये गये प्रपत्र में ही भावपत्र मान्य होंगे।
- स्टेशनरी का कागज 58 gsm paper white paper न होने पर निविदा को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- निविदा के साथ उपरोक्त सामग्रियों का एक सेट नमूना के रूप में हस्ताक्षरित एवं सील लगा हुआ आवश्यक रूप से संलग्न करें। सीलबंद लिफाफे में स्टेशनरी सेट क्य हेतु निविदा आमंत्रण सत्र 2022-23 लिखना आवश्यक है।
- निःशुल्क स्टेशनरी के सेट 500/- प्रति छात्र लेमीनेशन पैकिंग सहित प्रदाय करना होंगे।
- म. प्र. मण्डार एवं उद्योग विकास विभाग के आदेश क्रमांक एफ- 14/2012/अ-11 दिनांक 28.07.15 द्वारा जारी नवीनतम म. प्र. मण्डार एवं सेवा उर्पाजन नियम 2015 के तहत स्टेशनरी आदेश प्रदाय किये जायेंगे।
- भावपत्र मान्य होने पर समय सीमा के अंदर निर्धारित दरों एवं सूची के अनुसार आदेश पूर्ति करनी होगी अन्यथा आदेश स्वतः ही निरस्त हो जायेगा।
- निविदा पर वाणिज्यिक कर विभाग का टिन नं. एवं पत्राचार का पता अवश्य लिखें।
- मुगलान ई पद्धति से किया जाने हेतु देयक में बैंक का खाता नं. एवं डिटेल अंकित किया जाना अनिवार्य है।
- स्टेशनरी क्य संबंधी अधिकार प्राचार्य के पास सुरक्षित होंगे विवाद की स्थिति में प्राचार्य का निर्णय ही मान्य होगा।

प्रतिनिधि: LIBRARIAN
R.D. Govt. P.G. College
Mandla 2022

डॉ राजेश चौरसिया
प्राचार्य

म. प्र. शासन स्नातकोत्तर महाविद्यालय

मण्डला, दिनांक 23/08/2022

आयुक्त महोदय, उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. शासन कम्प्यूटर सेल की ओर इस निवेदन के साथ प्रेषित है कि विज्ञप्ति को विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित कराने की कृपा करें।

Dr.
डॉ राजेश चौरसिया
प्राचार्य
रानी दुर्गावती शासकीय